

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

वीरगंज न्यायालय — हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:—469 / 2021

दायर दिनांक:— 24.09.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 469

उनवान

मोहनसिंह पुत्र मूला जाति जाट निवासी पटौदा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—वादीगण—02

बनाम

धन्ना पुत्र रतनलाल जाति महाजन जेन निवासी पटौदा तहसील हिण्डौन जिला
करौली राज0

—प्रतिवादीगण—21

दावा इस्तकरारहक, डिविजन ऑफ होल्डिंग एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

निर्णय

दिनांक:— 1-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 421/21 मोहनसिंह बनाम धन्ना अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



— (हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली